दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि0, जयपुर।

उच्च तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा हेतु ज्ञान सागर ऋण योजना के परिचालात्मक दिशा निर्देश

प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 23–07–2010 से अंगीकृत की गई ज्ञान सागर ऋण योजना पत्र क्रमांक 3975 दिनांक 23–07–2010 से शाखाओं को भिजवाई गई थी।

शाखा प्रबंधकों की सुविधा हेतु परिचालात्मक दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है। योजना व जारी किये गये परिचालानात्मक दिशा निर्देशों के किसी बिन्दु की व्याख्या में मदभेद की स्थिति में योजना के प्रावधान बाध्यकारी व मान्य होगें।

यह योजना प्रदेश के ग्रामीण व शहरी छात्र– छात्राओं को व्यावसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदेश लेने पर अभिभावक को अथवा स्वंय को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने व उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से बनाई गई है जिससे इस प्रकार के विद्यार्थी आर्थिक अभाव के कारण तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे तथा अपनी प्रतिभा के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इसके साथ ही वेतनभोगी/पेशेवर व्यवसायी(प्रोफेशनल्स) भी उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा हेतु इस योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकेगें।

1. प्रयोजनः–

योजनान्तर्गत तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इन्जिनियरिंग, आईटीआई, पोलिटेक्निक डिप्लोमा, मेडिकल, डेन्टल, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, सी0ए0, एफ0सी0ए0, होटल मैनेजमेन्ट, कम्प्यूटर, ई–कामर्स तथा अन्य हाईटेक आदि पाठ्यक्रमों में डिग्री/ डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार/ भारत सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ से शिक्षा प्राप्त करने हेतु ही ऋण प्रदान किया जावेगा।

यदि कोई अभ्यार्थी विदेश मे भी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकेगा।

2. ऋण हेतु पात्रताः–

2.1 इस योजनान्तर्गत उन्हीं छात्र– छात्राओं के लिये ऋण प्रदान किया जा सकेगा जो स्वंय तथा जिनके अभिभावक भारतीय नागरिक है तथा बैंक के कार्य क्षेत्र के स्थायी निवासी है। इसके लिये उन्हें पते का प्रमाण देना होगा।

2.2 छात्र–छात्रा की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा अभिभावक की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी।

2.3 इस योजनान्तर्गत वेतनभोगी अथवा पेशेवर व्यवसायी (प्रोफेशनल्स) को भी ऋण दिया जा सकेगा। उस दशा में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। ऐसा ऋण स्वंय लाभार्थी द्वारा ही चुकाया जावेगा।

2.4 वेतनभोगी एवं पेशेवर व्यवसायी (प्रोफेशनल्स) आवेदकों को योजनान्तर्गत ऋण के उद्देश्य में वर्णित तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश या अध्ययनरत होने का प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करने पर ही ऋण हेतु पात्र माना जावेगा। गैरवेतन भोगी

आवेदक छात्रों को, जिन्होने ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं जिन्हें ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र माना गया हो, उन्हें ही इस प्रतिबंन्ध के अधीन ऋण का पात्र माना जावेगा एवं इस संबंध में संबंधित शिक्षण संस्थान में प्रवेश की स्वीकृति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.5 इस योजना में लाभ हेतु प्रस्तावित अभ्यार्थी के माता–पिता / विधि मान्य संरक्षक की तथा वेतनभोगी / प्रोफेशनल द्वारा स्वंय उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दशा में स्वंय लाभार्थी ऋणी की आय इतनी पर्याप्त एवं निरन्तरता किस्म वाली होनी चाहिये कि वे ऋण चुकाने में समर्थ हो सकें। प्रस्तावित ऋण की किश्त के चुकारे एवं पूर्ववर्ती कटौतियॉ उपरांत टेक होम 50 प्रतिशत होना ध्यान में रखा जावे।

2.6 इस हेतु आय का प्रमाणन आयकर निर्धारण रिटनर्स, नियोक्ता से जारी आय प्रमाण– पत्र जिसमें कटौतियों का भी पूर्ण विवरण हो या इसी तरह के अन्य किसी दस्तावेजात से किया जा सकेगा। कृषक जिनकी आय के बारे में कोई विशिष्ट दस्तावेज होना प्रचलन में नहीं है, वहॉ बैंक अन्य उपलब्ध स्त्रोतों से अभ्यार्थी के माता– पिता / संरक्षक की आय की जानकारी कर सकेगा तथा इस बाबत निश्चित की गई आय के संबंध में पूरा विवरण स्वीकृति पत्रावली में रखा जावेगा।

2.7 ऋण अभिभावक / संरक्षक के नाम से दिये जाने की स्थिति में छात्र–छात्रा को सह–आवेदक बनाया जावेगा। इसी प्रकार ऋण छात्र–छात्रा के नाम से दिये जाने की स्थिति मे अभिभावक /संरक्षक को सह–आवेदक बनाया जावेगा। यह शर्त वेतनभोगी / व्यवसायी आवेदकों द्वारा स्वंय की शिक्षा हेतु ऋण लेने पर लागू नहीं होगी ।

2.8 आवेदक छात्र छात्रा की आयु पर विशेष ध्यान देगें। आयु के प्रमाण स्वरूप सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र / अंकतालिका, डिग्री, स्थानीय निकाय का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स व आदि प्राप्त किये जावें।

3. ऋण की सीमा:–

3.1 वेतनभोगी / व्यवसायी आवेदकों एवं ऐसे गैरवेतनभोगी आवेदकों, जहॉ ऋण का चुकारा माता पिता / अभिभावक द्वारा किया जाना है, अधिकतम ऋण सीमा अभिभावक तथा ऋणी की कुल औसत मासिक आय के 20 गुणे तक या कोस्ट ऑफ स्टडीज की 90 प्रतिशत जो भी कम हो, जिसकी अधिकतम सीमा भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर रूपये 6.00 लाख तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर रूपये 10.00 लाख तक होगी।

गैरवेतनभोगी आवेदक छात्र–छात्राओं को, जहॉ ऋण का चुकारा छात्र की होने वाली आय से किया जावेगा, कोस्ट ऑफ स्टेडीज की 90 प्रतिशत राशि तक का ऋण उपरोक्त वर्णित अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकेगा।

3.2 मार्जिन मनी– इस प्रकार के ऋणों के लिये मार्जिन मनी 10 प्रतिशत निर्धारित की गई है। यदि अभिभावक द्वारा स्वंय के स्त्रोतो से कालेज / संस्थान में कोई राशि उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों हेतु जमा कराई है तो उसे मार्जिन मनी राशि मानते हुये उसमें समायोजित किया जा सकेगा।

3.3 यह टर्म लोन होगा जिसकी राशि बैंक को कॉलेज / संस्थान द्वारा दिये गये एस्टीमेट (वास्तविक दस्तावेज) के आधार पर उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगी। इस ऋण के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, होस्टल फीस, बस फीस, किताबें, उपकरण (

मय कम्प्यूटर), ड्रेस, मैस चार्जेज आदि हेतु तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर यात्रा व्यय हेतु भी निर्धारित मद में व्यय होने वाली धनराशि (कोस्ट ऑफ स्टडी) मानी जावेगी तथा कोस्ट ऑफ स्टडी के आधार पर ऋण की धनराशि का निर्धारण किया जावेगा। कोस्ट ऑफ स्टेडीज के किसी मद का एस्टीमेट संस्था द्वारा नहीं दिये जाने की दशा में ऋणी का घोषणा पत्र जिसमें सम्भावित व्यय का पूर्ण विवरण हो, बैंक द्वारा स्वविवेक से स्वीकार किया जा सकेगा।

3.4 यदि अभिभावक द्वारा स्वयं के जेबों से उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के लिये राशि व्यय की गई है तो 2 माह के अन्दर अन्दर बैंक इस प्रकार के व्ययो के लिये पुनर्भरण करते हुये ऋण प्रदान कर सकता है।

3.5 यदि आवेदक द्वारा किसी अन्य संस्था से ऋण लिया हुआ है और वह उसे चुकाकर शीर्ष बैंक से ऋण लेना चाहे तो आवेदक की पात्रता एवं ऋण चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुये शीर्ष बैंक ऐसे आवेदन पर भी विचार कर सकता है। इस हेतु पूर्व ऋण खाते की प्रति प्राप्त कर विगत एक वर्ष में कोई दोष नहीं किया जाना देखा जावें।

4. ब्याज दर:—

4.1 इस ऋण हेतु ब्याज दर समय– समय पर बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार लागू होगी। ब्याज मासिक आधार पर प्रभारित एवं वसूल किया जावेगा।

4.2 यदि योजनान्तर्गत ऋण छात्रा की शिक्षा हेतु लिया जाता है तो इस प्रकार के ऋण पर निर्धारित ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

4.3 ऋण राशि पर ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जावेगी एवं ब्याज की गणना पूर्व में करके मूल व ब्याज की समान मासिक किश्त (ईमआइ) बनाकर निर्धारित कर दी जावेगी।

4.4 ऋणी को मासिक किश्त के चैक बैंक को प्रदान करने होंगें तथा ब्याज एवं ऋण की किश्त की वसूली हेतु पर्याप्त धनराशि अपने बचत खाते में रखनी होगी। ब्याज की वसूली नहीं होने पर ब्याज का पूंजीकरण किया जावेगा।

4.5 किश्तों में चूक करने की दशा में ऋणी द्वारा अवधिपार राशि पर बैंक को 3 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देना होगा।

5. ऋण अग्रिम:—

5.1 सेमेस्टर/ वर्ष के खर्चों, जिसकी विगत बैंक को उपलब्ध कराई जावेगी, के आधार पर अनुपातिक रूप से ऋण अग्रिम किया जावेगा।

5.2 छात्र–छात्राओं के लिये ऋण प्राप्त करने की दशा में ऋण अग्रिम से पूर्व अभिभावक से यह प्रमाण--पत्र लिया जावेगा कि जिसके अध्ययन हेतु ऋण लिया गया है/ लिया जा रहा है, वह छात्र/ छात्रा निरन्तर अध्ययनरत है। साथ ही अभिभावक द्वारा छात्र/छात्रा की पूर्व सेमेस्टर/ वर्ष की अंक तालिका व अन्य प्रमाण भी प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करने पर ही ऋण की आगामी किश्त जारी की जावेगी।

6. ऋण की अवधि व पुनर्भुगतान–

6.1 ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निम्न दो विकल्प उपलब्ध होगें:–

अ. वेतनभोगी/व्यवसायी आवेदको एवं ऐसे गैरवेतनभोगी आवेदको, जहाँ ऋण का चुकारा स्वंय या माता–पिता/अभिभावक द्वारा किया जाना है, हेतु निम्न प्रावधान प्रभावी होगें:--

अ.1 योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम के लिये ऋण सेमेस्टर/वर्ष के आधार पर आनुपातिक रूप से अग्रिम किया जावेगा। वर्ष के लिये अग्रिम ऋण की वसूली (मूल व ब्याज) अधिकतम 60 समान किश्तों में की जावेगी।

अ.2 ऋण की अदायगी की अवधि सेमेस्टर / वर्ष के आधार पर अग्रिम किये जाने वाले ऋण पर आधारित होगी। प्रत्येक अग्रिम को अलग–अलग ऋण माना जावेगा अर्थात प्रत्येक ऋण चुकारे की अवधि एवं मासिक किश्तें (मूल एवं ब्याज) अलग–अलग निर्धारित होगी। प्रत्येक अग्रिम (मूल एवं ब्याज) के चुकारे की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी किन्तु सम्पूर्ण ऋण के चुकारे की अधिकतम अवधि 8 वर्ष होगी। (उदाहरण– प्रथम सेमेस्टर में लिये गये ऋण के चुकारे की अवधि 5 वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर में लिये गये ऋण चुकारे की अवधि पृथक से पांच वर्ष, छठे सेमेस्टर में लिये गये ऋण के चुकारे की पृथक से अवधि 5 वर्ष, किन्तु सम्पूर्ण ऋण का मय ब्याज चुकारा अधिकतम 8 वर्षों में)

अ.3 ऋण की प्रथम किश्त ऋण प्राप्त करने के एक माह पश्चात से प्रारम्भ हो जावेगी।

ब. शिक्षा समाप्ति पर पुर्नभुगतान विकल्प:– इस विकल्प हेतु ऋण पुनर्भुगतान के निम्न प्रावधान लागू होगें:–

ब.1. छात्र–छात्राओं को ऋण का चुकारा प्रारम्भ करने हेतु कोर्स की समाप्ति से एक वर्ष बाद अथवा आय प्रारम्भ होने के 6 माह बाद तक की अवधि जो भी पहले हो, तक की स्थगन अवधि अनुमत होगी। स्थगन अवधि के उपरांत ऋण का चुकारा अधिकतम 60 समान मासिक किश्तों में किया जावेगा।

ब.2. स्थगन अवधि का ब्याज मासिक आधार पर छात्र--छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक के द्वारा ऋण की प्रथम किश्त के निर्गमन से निरन्तर किया जा सकेगा।

ब.3 यदि छात्र/छात्रा स्थगन अवधि का ब्याज आय प्रारम्भ होने के पश्चात चुकाना चाहते है तो विकल्प उपलब्ध होगा ऐसी स्थिति में ब्याज दर साधारण ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक दर से चार्ज होगी। ब्याज राशि खाते में मासिक आधार पर डेबिट की जावेगी।

ब.4 शिक्षा समाप्ति पर पुर्नभुगतान के विकल्प में यथा सम्भव स्थगन अवधि का ब्याज मासिक आधार पर चुकारे वाला विकल्प रखा जावें। शाखा द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर की अंकतालिका प्राप्त कर छात्र–छात्रा एवं अभिभावक को पत्र से बधाई देते हुये, ऋण के संबंध में स्मरण करवाया जावें।

ब.5 शिक्षा समाप्ति पर पुर्नभुगतान के विकल्प में छात्र द्वारा जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा रहा है, उसे पूर्ण करने पर छात्र पर्याप्त आय सृजित कर सकेगा/ वेतन प्राप्त कर सकेगा की सुनिश्चितता करते हुये ही ऋण स्वीकृत किया जावें। भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (IIT) भारतीय प्रबंध संस्थानों (IIM)आदि पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जावें।

6.2 ऋणी किश्तों से अधिक राशि ऋण खाते में चुकाने के लिये स्वतंत्र होगा एवं इस पर किसी प्रकार का प्रभार वसूल नहीं किया जावेगा।

7. प्रतिभूति:–